कार्यालय प्रधान मुख्य वन सरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष- स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति (59/26, दिनांक 26.08.2026)

दुर्लभ एवं प्रतिबंधित प्रजाति के वन्यजीव कछुओं की अंतर्राज्यीय तस्करी करने वाले गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीवों की तस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) मध्यप्रदेश इकाई इन्दौर के द्वारा कार्यवाही करते हुये दिनाँक 19-08-2026 को 02 आरोपियों से दुर्लभ प्रजाति के 30 नग कछुऐ जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 3951/02 दिनाँक 19-08-2026 पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। प्रकरण मे प्रारंभ में गिरफ्तार 02 आरोपियों से इंडियन स्टार टॉरटाईस-14 नग, इंडियन रूफ्ड टर्टल -10 नग एवं स्पाटेड पोण्ड टर्टल-06 नग तथा 03 मोबाइल जप्त किये गये थे।

दोनों आरोपियों से रिमाण्ड अवधि के दौरान की गई पूछताछ एवं प्रकरण मे की गई विवेचना मे प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इनके गिरोह के 01 अन्य सदस्य बिलाल कादरी शाह पिता गुलाम अहमद शाह मूल निवासी शामगढ गरोठ जिला मंदसौर हाल मुकाम ग्रीनपार्क कॉलोनी, इन्दौर, को दिनाँक 24-08-2026 को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बिलाल से 02 नग इंडियन रूफ्ड टर्टल एवं 01 मोबाइल जप्त किया गया है। आरोपी बिलाल से जप्त कछुऐ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित है, जिनके अवैध व्यापार के लिये 3 से 7 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माना राशि न्यूनतम 25 हजार का प्रावधान है। आरोपी बिलाल को विशेष न्यायालय, माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंदौर के समक्ष प्रस्तुत कर फारेस्ट रिमाण्ड पर लिया गया है। आरोपी बिलाल से गिरोह के अन्य सदस्यों एवं वन्यजीव तस्करी के बारे मे पूछताछ जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
मध्यप्रदेश, भोपाल